न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 246 सन 2016

अनवान :–

1. गणेश सिह पुत्र कानसिह जाति राजपूत निवासी मुन्सरी तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/02/26

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा मुन्सरी के खसरा न0 248 की 4.07 बीधा भूमि स्थित है जिसका गणेशसिह पुत्र कानसिह गेरखातेदार काश्तकार वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है

रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 248 की कुल 4.07 बीधा वादी को आवंटन की गई भूमि थी जिसके सम्बध में एक वाद गुलाबसिह बनाम गणेशसिह उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में पेश हुआ जो राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार वादी की खसरा न0 248 नया खसरा न0 248/1 मुर्तिब कर 3.00 बीधा भूमि गुलाबसिह पुत्र डुगंरसिह के नाम दर्ज कर शेष भूमि वादी के नाम दर्ज करने के आदेश किये गये उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में गुलाबसिह एवं वादी के नाम दर्ज की गई।

रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 248/2 की 1.07 बीधा भूमि वादी को आवंटनशुद्वा भूमि है जो आवंटन के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी को आवंटन होने के सात सालो के बाद नियमानुसार वादी खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी को गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हको की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 264/250 के खसरा न0 248/2 की 0.3410हैक भूमि का वादी को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में रिपोर्ट पेश किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन [illegible] अन्तर्गत आती है वादी उपनिवेशन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी [illegible] है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण [illegible]। पेरोकार राज का [illegible]ब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र [illegible] किया जिस पर [illegible]नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 248 की कुल 4.07 बीधा वादी को आवंटन

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की गई भूमि थी जिसके सम्बध में एक वाद गुलाबसिह बनाम गणेशसिह उपखण्ड अधिकारी नोहर के न्यायालय में पेश हुआ जो राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित किया गया जिसके अनुसार वादी की खसरा न0 248 नया खसरा न0 248/1 मुर्तिब कर 3.00 बीधा भूमि गुलाबसिह पुत्र डुगंरसिह के नाम दर्ज कर शेष भूमि वादी के नाम दर्ज करने के आदेश किये गये उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में गुलाबसिह एवं वादी के नाम दर्ज की गई।

रोही मौजा मुन्सरी के खसरा न0 248/2 की 1.07 बीधा भूमि वादी को आवंटनशुद्वा भूमि है जो आवंटन के समय से कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी को आवंटन होने के सात सालो के बाद नियमानुसार वादी खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी को गेरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हको की घोषणा करवाकर वाद भूमि को बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपनी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा मुन्सरी के साबिका खसरा न0 248 की कुल 4.07 बीधा भूमि गणेशसिह पुत्र कानसिह जाति राजपुत साकिन मुन्सरी /वादी को दिनांक 01.12.1965 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश /तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

वादी को आवंटन की गई भूमि के सम्बध में एक वाद गुलाबसिह बनाम गणेशसिह प्रस्तुत हुआ जो आपसी सहमति राजीनामा के आधार पर निर्णित किया गया जिसमें 3.00 बीधा भूमि गुलाबसिह पुत्र डुगरसिह को एवं शेष भूमि गणेशसिह वादी को दी गई थी उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी जो प्रस्तुत साक्ष्यो/दस्तावेजात से पूर्णत्या सबित है

वाद भूमि गणेशसिह पुत्र कानसिह को दिनांक 01.12.1965 को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि वादी के में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

वादी को रोही मौजा मुन्सरी को साबिका खसरा न0 248 हाल खसरा न0 248/2 की 1.07 बीधा जो राजस्व रिकार्ड में 0.3410 है में पैमुद है वादी को दिनांक 01.12.1965 को आवंटित की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी को आवंटन दिनांक 01.12.1965 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी आवंटन दिनांक 01.12.1965 के तीन/सात वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वादी को आवटन की गई भूमि को वादी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिका[illegible] किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा [illegible] 1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में [illegible] री अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के [illegible] खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार

Rahul उपखण्ड अधिकारी नोहर

प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन क्षेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07. 03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी गणेशसिह पुत्र कानसिह जाति राजपुत साकिन मुन्सरी (जो सामान्य वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा मुन्सरी के खाता संख्या 264/250 के हाल खसरा न0 248/2 की 0.3410हैक भूमि दिनांक 01.12.1965 को आवटन की गई थी जो राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम बतौर गैरखातेदार दर्ज है अर्थात वाद भूमि वादी को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957 [illegible]यो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये [illegible] है [illegible]राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसु[illegible] के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा [illegible]सरी के खसरा न0 248 की कुल 0.3410हैक भूमि वादी गणेशसिह पुत्र कानसिह जाति राजपुत को दिनांक 01.12.1965 को आवंटन की गई थी वादी को आवटन की गई थी जो आवंटन आदेश ,एव तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट

Rahul राजस्व अधिकारी
नोहर

से पूर्णत्या साबित है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वादी भूमि जो वादी को आवंटन की गई थी जो वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है कब्जा काश्त की पूष्टि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एव प्रस्तुत दस्तावेजात से पूर्णरूप से साबित है वादी को आवंटन की गई भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी को आवंटन की गई भूमि के खातेदारी अधिकार राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी अधिसुचनाओं/परिपत्र के परिपेक्ष्य में ही प्राप्त करने का अधिकारी है अर्थात वादी उपनिवेशन नियमों के तहत बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्सरी के खाता संख्या 264/250 के खसरा न0 248/2 की 0.3410हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. गणेशसिह पुत्र कानसिह जाति राजपुत साकिन मुन्सरी तहसील नोहर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 246 सन 2016 निर्णय दिनांक – 16/02/2026

आज यह वाद मुझ राहूल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा मन्सरी के खाता संख्या 264/250 के खसरा न0 248/2 की 0.3410हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.03.04 12:44:05 IST
Reason: SelfAttested